


5.8.24

बकील पार्की अप.। बकील पार्की द्वारा डिक्री अनुसार सचिवता
रिपोर्ट में अंकन होगा बताया। प्रविण पर में कोई कमीवारी
शेष नहीं होगी पर प्रविण पर स्वीकार किया जाता है। पत्रावली
नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश से इतना सुनाया गया।

✓

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)



GCMs
2023/334